न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 115/2023

उनवान

1. माया देवी पत्नी छाजूलाल जाति अहीर, निवासी बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. जुगलकिशोर यादव पुत्र छीतरमल
2. पप्पूराम पुत्र छोटू
   समस्त जाति अहीर निवासी बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर
3. ओमप्रकाश उर्फ उमाशंकर पुत्र पप्पूराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता पप्पूराम यादव जाति अहीर निवासी बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
4. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, (राज0)।
5. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।
6. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ डंडिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1956

निर्णय दिनांक :– 8/2/2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 2421 रकबा 0.4100 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी में वादीया का 11/41, प्रतिवादी सं0 01 का 11/41 तथा प्रतिवादी सं0 03 का 8/41, प्रतिवादी सं0 04 का 11/48 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित भूमि पर वादीया व प्रतिवादी सं0 01 लगायत 03 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी ख0 न0 की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि का खातेदारान के मध्य कभी कोई कानूनी बंटवारा नही हुआ है प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादीया को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने पर आमादा है।

यह कि अभी 10–15 दिन पूर्व प्रतिवादी सं0 01 लगायत 02 अपने परिवार सहित उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे वादीया ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को मना किया कि ओर कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानिया कहा कि हम तो बिना तकारमा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाउ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे तथा निर्माण कार्य करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नही रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा कराये ही विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने को आमादा फिसाद है इसलिये वादीया को प्रतिवादी सं0 01 लगा0 02 के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त विवादित भूमि का सरस नरस के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादीगण के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करावे।

यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 02 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीया व प्रतिवादीगण की सामलाती संपति मुतनाजा है उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नही हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड पौधे पूला पानी पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा माना जावेगा लेकिन प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 03 उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उसके उपजाउ विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर निर्माण कार्य करने को आमादा है तथा वादीया के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है।

यह कि यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया। आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीडपंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीया को आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीया को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियो का कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा। जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नही हो सकेगी तथा पक्षकरो में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। इस कारण वादीया को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 01 लगायत 05 में वर्णित अनुसार अब प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी पैदा करने लग गये है इस कारण वादी का उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के साथ शामिल काश्त करना संभव नही रहा है इसलिए वाद पत्र के खण्ड सं0 01 में वर्णित आराजीयात का कानूनी बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

यकि कि बिनाय दावा वाद ग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सह खातदोरी भूमि होने तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0 03 में वर्णित प्रकार से आराजी का कानूनी बंटवारा नही होने व प्रतिवादीगण द्वारा कानूनी कराने से इंकार कर देने तथा वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने व निर्माण कार्य करने तथा बिना बंटवारा कराये ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्ति को अन्तरण कर उसके पक्ष में अन्तरणडीड पंजीबद्ध कराने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवदेन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 2421 रकबा 0.4100 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तहश्सील शाहपुरा जिला जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड (सरस नरस के आधार पर) राजस्व बोर्ड के नियमो के आधार पर बंटवारा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, स्थानापन्नों व अन्य परिवारजन को जरिये स्थायी निषेधाज्ञाय से सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि हाल आराजी खसरा नंबर 2421 रकबा 0.4100 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नही करे जबकि वादी को शांति पूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियो को रहन

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

बय हस्तान्तरण नही करें आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 06 की तामिल होने के बावजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये। अतः दिनांक 31.10.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री कर बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण को दिनांक 31.10.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्ताव भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/368 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है । अतः दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2421 रकबा 0.4100 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4100 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. जुगलकिशोर यादव पुत्र छीतरमल हिस्सा 11/30, नाबालिग ओमप्रकाश उर्फ उमाशंकर पुत्र पप्पूराम यादव हिस्सा 11/30 सरंक्षक पप्पूराम पिता, पप्पूराम पुत्र छोटू हिस्सा 8/30 जाति अहीर (यादव) राहिन जमाबंदी अनुसार सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2421/1 रकबा 0.30 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि रहेगी।
2. माया देवी पत्नी छाजूराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2421/2 रकबा 0.11 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.11 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 8/2/2024 को सरै इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर • शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. • सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फर्स्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्पत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 115/2023

उनवान

1. नाया देवी पत्नी छाजूलाल जाति अहीर, निवासी बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. जुगलकिशोर यादव पुत्र छीतरमल
2. पप्पूराम पुत्र छोटू

पए समस्त जाति अहीर निवासी बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर

3. ओमप्रकाश उर्फ उमाशंकर पुत्र पप्पूराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता पप्पूराम यादव जाति अहीर निवासी बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
4. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, (राज0)।
5. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, (राज0)।
6. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ डंडिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1956

निर्णय दिनांक :– 8/2/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2421 रकबा 0.4100 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4100 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. जुगलकिशोर यादव पुत्र छीतरमल हिस्सा 11/30, नाबालिग ओमप्रकाश उर्फ उमाशंकर पुत्र पप्पूराम यादव हिस्सा 11/30 सरंक्षक पप्पूराम पिता, पप्पूराम पुत्र छोटू हिस्सा 8/30 जाति अहीर (यादव) राहिन जमाबंदी अनुसार सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2421/1 रकबा 0.30 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

2. माया देवी पत्नी छाजूराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2421/2 रकबा 0.11 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.11 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 8/2/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (प्रशिक्षु चैक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner